

# कार्यालय प्रधानाचार्य- महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।

पत्रांक/ मे0का0दे0/ एस0आर0/ 2022-23/

दिनांक 07.05.2022

## कार्यालय आदेश

इस कार्यालय के पत्रांक-मे0का0दे0/2021-22/1862, दिनांक:-14.01.2022 के विज्ञापित द्वारा महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया हेतु विभिन्न विभागों में सीनियर रेजिडेन्ट में हुई नियुक्ति एवं उसके उपरान्त विभिन्न कारणों से हुई रिक्त पदों के सापेक्ष वेतनमान रु0 15600-39100 एवं ग्रेड वेतन रु0 6600 में वॉक इन इन्टरव्यू (Walk in Interview) के आधार पर 01 वर्ष के लिए कि दिनांक 19.01.2022 से दिनांक 04.05.2022 तक साक्षात्कार आयोजित किया गया था। उक्त साक्षात्कार में कमेटी की संस्तुति के आधार पर चयनित अभ्यर्थी की सूची विभागवार निम्नानुसार निर्गत की जा रही है-

क्र0सं0	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	कटेगरी	आवृत्त विभाग	मो0न0	ई-मेल
01	Dr. Shipra Kumari Pandey	Shri Varun Anand Srivastava	UR	OBG	9453362756	<a href="mailto:drshiprapandey1986@gmail.com">drshiprapandey1986@gmail.com</a>
02	Dr. Ankit Kumar Mishra	Ajay Shankar Mishra	UR	GENERAL MEDICINE	8765625413	<a href="mailto:ankit964@gmail.com">ankit964@gmail.com</a>

महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 शासन द्वारा प्राप्त निर्देशों के क्रम में चयनित अभ्यर्थी को आदेशित किया जाता है कि अविलम्ब महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया में उपस्थित हो कर निम्न शर्तों के अधीन कार्यभार ग्रहण करना सुनिश्चित करें।

01. यह आवश्यक होगा कि नियुक्ति आदेश के 05 कार्य दिवस के भीतर संस्था में अपना कार्यभार ग्रहण कर ले। उक्त कालावधि में कार्यभार ग्रहण न करने की दशा में नियुक्ति स्वतः रद्द मानी जायेगी।
02. सीनियर रेजिडेन्ट मरीजों को प्राइवेट में देखने के लिए बाध्य नहीं करेगा और न तो कही प्राइवेट प्रैक्टिस करेगा।
03. सीनियर रेजिडेन्ट को महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया में आकस्मिक अनुभाग/कोविड-19/आपदा सेवाओं के लिए हमेशा उपस्थित रहना होगा।
04. कार्यों में शिथिलता एवं सेवाये संतोषजक न पाये जाने पर आपकी सेवा तत्काल समाप्त कर दी जायेगी।
05. यह नियुक्ति सम्बंधित विभागाध्यक्ष द्वारा त्रैमासिक समीक्षा एवं मूल्यांकन के आधार पर अधिकतम एक वर्ष या महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण से अनिवार्य शासकीय बान्ड पर सीनियर रेजिडेन्ट की नियुक्ति से जो पहले हो के लिए मान्य होगी।
06. किसी भी सीनियर रेजिडेन्ट को कार्यभार ग्रहण करने की तिथि से 03 माह पूर्ण होने से पूर्व अपने पद से त्याग-पत्र दिये जाने की अनुमति नहीं होगी अन्यथा की स्थिति में सम्बंधित सीनियर रेजिडेन्ट के एक माह का वेतन आहरित नहीं किया जायेगा।
07. विशेष परिस्थितियों को छोड़कर लगातार दो दिन से अधिक आकस्मिक अवकाश की अनुमति नहीं होगी। आकस्मिक अवकाश के अतिरिक्त कोई अन्य अवकाश देय नहीं होगा।
08. कार्यस्थल पर समयबद्धता अनिवार्य है। परन्तु बिना प्रतिस्थानी की उपलब्धता के कार्यस्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर अनुशासनात्मक कार्यवाही की जायेगी।
09. किसी भी प्रकार का हडताल या आन्दोलन करने पर नियुक्ति समाप्त कर दी जायेगी।

प्रधानाचार्य

महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य  
चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।  
तद्दिनांक

पत्रांक/ मे0का0दे0/ चि0कि0/ 2022-23/ 160

प्रतिलिपि:- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

01. प्रमुख सचिव, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0, लखनऊ।
02. महानिदेशक, चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण उ0प्र0 जवाहर भवन, लखनऊ।
03. प्रभारी अधिकारी, अधिष्ठान, मेडिकल कालेज, देवरिया।
04. प्रभारी अधिकारी बेवसाइट, मेडिकल कालेज, देवरिया को इस निर्देश के साथ कि उक्त कार्यालय सूचना को कालेज बेवसाइट पर प्रदर्शित करना सुनिश्चित करें।
05. सम्बंधित विभागाध्यक्ष
06. सूचना, पेट, कालेज।
07. गार्ड फाईल।

प्रधानाचार्य

महर्षि देवरहा बाबा स्वशासी राज्य  
चिकित्सा महाविद्यालय, देवरिया।